राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2503/2025

महावीर प्रसाद वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कृष्णवीर सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण उप वन संरक्षक, कोटा से उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक (प्रथम) रणथम्भौर, बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.03.2026 को होनी है। ऐसे में सेवानिवृति में कम समय शेष होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी का नाम महावीर प्रसाद वर्मा है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम महावीर प्रसाद शर्मा अंकित किया गया है, जो गलत अंकित किया गया है। ऐसे में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलोच्य आदेश पारित किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2025 को कार्यमुक्त किया गया है। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम महावीर प्रसाद वर्मा ही अंकित है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृति में अभी 11 माह

का समय शेष है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृति के सम्बन्ध में कागजात तैयार करने में स्थानान्तरण किये जाने पर कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष